"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 303] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2006—अग्रहायण 14, शक 1928

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2006

क्रमांक 13877/21-अ/प्रारूपण/06.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 04-12-06 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 30 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2006.

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्रमांक 16 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ 1. (1) इस अधिनियम का नाम छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2006 है.

(2) यह 1 नवम्बर, 2000 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुआ माना जाएगा.

परिभाषा 2. इस अधिनियम में, "मूल अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्रमांक 16 सन् 1967).

धारा 2 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"(ग) "प्रतिकर भत्ता" से अभिप्रेत है, किसी पदधारी को पद के कृत्यों के पालन में उसके द्वारा उपगत किए गए किसी व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, बैठक शुल्क, वाहन भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, संचार भत्ता या अन्य कोई भत्ते के रूप में देय कोई धन राशि."

धारा 3 का संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"3. कतिपय लाभ के पद निरर्हकारी नहीं — एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी पद, जहाँ तक वह शासन के अंतर्गत लाभ का पद है, उसके धारक को छत्तीसगढ़ विधानसभा का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं करेगा या कभी भी निरर्हित नहीं किया गया है, माना जाएगा.

3-क. कतिपय पदों की निरर्हता का प्रतिषेध धारा 3 के उपबंधों के अध्यधीन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी समिति के सभापति और उपसभापति या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या निदेशक या सदस्य का पद धारण करता हो, किसी भी समय छत्तीसगढ़ विधानसभा का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने के लिए मात्र इस तथ्य के कारण निरर्हित नहीं होगा कि वह ऐसे पद को धारण करता है:

परन्तु किसी ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करता हो."

अनुसूची का संशोधन 5. मूल अधिनियम की अनुसूची में,--

(एक) मद 8 में शब्द, अंक तथा कोष्ठक " दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का सं0 पांच)" के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक " दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं0 दो) " स्थापित किए जाएं,

(दो) मद 18 से 22 के स्थान पर निम्नलिखित मद स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

"18. मुख्यमंत्री या मंत्री या राज्यमंत्री या उपमंत्री द्वारा पदेन हैसियत से धारित पद.

19. निम्नलिखित कानूनी निकाय या समिति के सभापति और उपसभापति या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या निदेशक और प्रबंध निदेशक या सदस्य सचिव या सचिव या सदस्य का पद:-

(1)	निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन गठित राज्य समन्वय समिति.
(2)	राज्य स्रोत (निःशक्तजन) संस्थान.
(3)	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन गठित राज्य सलाहकार बोर्ड.
(4)	ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति.

(5)	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्.
(6)	छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण.
(7)	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी.
(8)	छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी.
(9)	शासकीय किरोड़ीमल पॉलीटेक्निक सोसायटी, रायगढ़.
(10)	कार्यकारी समिति, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्.
(11)	राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्,छत्तीसगढ़.
(12)	राज्य शिक्षुता परिषद्, छत्तीसगढ़.
(13)	छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र0 21 सन् 1994) के अधीन गठित स्थायी समिति.
(14)	छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अधीन गठित राज्य स्तरीय सर्तकता तथा मॉनिटरिंग कमेटी.
(15)	छत्तीसगढ़ आदिम जाति मंत्रणा परिषद् (जनजाति सलाहकार परिषद्).
(16)	छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल.
(17)	छत्तीसगढ़ राज्य वन औषधि बोर्ड.
(18)	छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी.(क्रेडा)
(19)	छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड.
(20)	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड.
(21)	राज्य उद्योग सलाहकार मण्डल.
(22)	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण.
(23)	सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण.
(24)	अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण.
(25)	राज्य योजना मंडल.
(26)	छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एण्ड बायोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स).
(27)	छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन.
(28)	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड.
(29)	छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड.
(30)	छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड.
(31)	छत्तीसगढ़ स्टेट कौंसिल भारत स्काउट एण्ड गाइड.
(32)	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना का परियोजना सलाहकार मण्डल.
(33)	छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड.
(34)	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल.
(35)	छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड.

(36)	छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम.
(37)	छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण.
(38)	छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड.
(39)	छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित.
(40)	छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड.
(41)	छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल.
(42).	छत्तीसगढ़ श्रम सलाहकार परिषद्.
(43)	विद्युत अधिनियम, 2003 धारा 166(4) के अधीन गठित राज्य स्तरीय समन्वय फोरम.
(44)	छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सी0बी0डी0ए0).
(45)	राज्य जल स्थायी समिति.
(46)	राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड.
(47)	स्वशासी समिति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर.
(48)	स्वशासी समिति, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर.
(49)	स्वशासी समिति, पं0 जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर.
(50)	स्वशासी समिति आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर.
(51)	छत्तीसगढ़ पैरा–मेडिकल कौंसिल,रायपुर.
(52).	राज्य स्वास्थ्य मिशन.
(53)	छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी.
(54)	कुष्ठ रोग नियंत्रण समिति.
(55)	मलेरिया एवं फाइलेरिया नियंत्रण समिति.
(56)	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण समिति.
(57)	क्षय रोग नियंत्रण समिति.
(58)	प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति.
(59)	बहुआयामी सांस्कृतिक संस्थान रायपुर.
(60)	छत्तीसगढ़ पर्यटन सलाहकार बोर्ड.
(61)	होटल प्रबंधन संस्थान रायपुर.
(62)	छत्तीसगढ़ महिला कोष.
(63)	राज्य समाज कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़.
(64)	छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग.
(65)	छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम.
(66)	छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड.
(67)	छत्तीसगढ़ राज्य संस्कृत बोर्ड.
(68)	छत्तीसगढ़ राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण.
(69)	छत्तीसगढ़ राजीव गांधी शिक्षा मिशन.
(70)	राज्य शहरी विकास अभिकरण.

(71)	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड.
(72)	छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था.
(73)	छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड.
(74)	छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम.
(75)	छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड.
(76)	छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग.
(77)	छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग.
(78)	छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग.
(79)	छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग.
(80)	छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग.
(81)	छत्तीसगढ़ राज्य गौ–सेवा आयोग.
(82)	छत्तीसगढ़ आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति, रायपुर.
(83)	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित.
(84)	श्रीमती सूर्यमुखी देवी राजगामी सम्पदा समिति (न्यास), राजनांदगांव.
(85)	छत्तीसगढ़ संवाद.
(86)	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम.
(87)	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित
(88)	छत्तीसगढ़ राज्य वन्य प्राणी बोर्ड.
(89)	छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड.
(90)	शासकीय चिकित्सालय की जीवन दीप समिति."

विधि मान्यकरण के संबंध में विशेष प्रावधान.

6. (1) किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय या आदेश या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी आदेश या मत के होते हुए भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद उनके धारकों को छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य चुने जाने या सदस्य होने के लिए उसी तरह निरर्हित नहीं करेगें या ऐसे पदों द्वारा उनके धारकों को कभी भी निरर्हित नहीं किया गया है, यह उसी तरह माना जाएगा जैसे कि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित रूप में मूल अधिनियम सभी सारवान समय में प्रवृत्त रहा था.

(2) शंकाओं के निराकरण हेतु एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि पर किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी याचिका या संदर्भ का निराकरण, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा.

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2006

क्रमांक 13877/21-अ/प्रारूपण/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 30 of 2006)

THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRARHATA NIVARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2006.

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006.

(2) It shall be deemed to have come into force retrospectively with effect from 1st November, 2000.

Definition

2. In this Act, "Principal Act" means the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No.16 of 1967).

Amendment of Section 2

3. After clause (b) of Section 2 of the Principal Act, the following clause shall be added, namely:-

"(c) "Compensatory Allowance" means any sum of money payable to the holder of an office by way of travelling allowance, daily allowance, sitting fee, conveyance allowance, house rent allowance, communication allowance or any other allowance for the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions of that office."

Amendment of Section 3

4. For Section 3 of the Principal Act, the following Sections shall be substituted, namely,

"3. **Certain offices of profit not to disqualify** It is hereby declared that none of the offices specified in the Schedule, in so far as it is an office of profit under the Government, shall disqualify or shall be deemed ever to have disqualified the holder thereof for being chosen as, or for being, a member of the Chhattisgarh Legislative Assembly.

3-A. Prevention of disqualification of certain offices Subject to the provisions of Section 3 no person holding the office of Chairman and Vice Chairman or President and Vice President or Director or Member of any committee shall be disqualified at any time for being chosen as, or for being, a Member of the Chhattisgarh Legislative Assembly by reason only of the fact that he holds such office:

Provided that the holder of any such office is not in receipt of any remuneration other than compensatory allowance."

Amendment of Schedule. 5. In the Schedule to the Principal Act:-

(i) in item 8, for the words, figures, and bracket "Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898)" the words, figures and bracket "Code of Criminal Procedure 1973 (No. 2 of 1974)" shall be substituted.

(ii) For items 18 to 22, the following items shall be substituted, namely:-

"18. the office held by Chief Minister or Minister or Minister of State or Deputy Minister in ex-officio capacity.

19. the office of Chairman and Vice Chairman or President and Vice President or Director and Managing Director or Member Secretary or Secretary or Member of the following statutory body or committee: -

(1)	State Coordination Committee constituted under the Persons with Disabilities (Equal opportunities, protection of rights and full participation) Act. 1995.
(2)	Rajya Shrot (Nishaktjan) Sanstham.
(3)	State Advisory Board constituted under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.
(4)	State Level Vigilance and Monitoring Committee constituted for Rural Development Programmes.
(5)	Chhattisgarh State Rural Employment Guarantee Council.
(6)	Chhattisgarh Gramin Sadak Vikas Abhikaran.
(7)	Chhattisgarh Gramin Garibi Unmulan Society.
(8)	Chhattisgarh Rajya Hindi Granth Academy.
(9)	Shaskiya Kirodimal Polytecnic Society, Raigarh.
(10)	Karykari Samiti Chhattisgarh Vigyan Evam Prodhogiki Parishad.
(11)	Rajya Vyavasayik Prashikshan Parishad. Chhattisgarh.
(12)	Rajya Shikshukta Parishad, Chhattisgarh.
(13)	Standing Committee constituted under the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan)Adhiniyam, 1994(No.21 of1994).

(14)	State level Vigilence and Monitoring Committee constituted under the Chhattisgarh Anusuchit Jati Avam Janjati (Atyachar Nivaran) Niyam, 1995.
(15)	Chhattisgarh Adim Jati Mantrana Parishad (Tribal Advisory Council).
(16)	Chhattisgarh Madhyamik Shiksha Mandal.
(17)	Chhattisgarh Rajya Van Aushidhi Board.
(18)	Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency (CREDA).
(19)	Chhattisgarh Mineral Development Corporation Ltd.
(20)	State Investment Promotion Board.
(21)	State Industry Advisory Board.
(22)	Bastar Evam Dakshin Kshetra Adivasi Vikas Pradhikaran.
(23)	Sarguja Evam Uttar Kshetra Adiwasi Vikas Pradhikaran.
(24)	Anusuchit Jati Vikas Pradhikaran.
(25)	State Planning Board.
(26)	Chhattisgarh Infotech and Biotech Promotion Society(CHIPS).
(27)	Chhattisgarh State Warehousing Corporation.
(28)	Chhattisgarh Tourism Board.
(29)	Chhattisgarh Infrastructure Development Corporation Limited .
(30)	Chhattisgarh State Agriculture Marketing Board.
(31)	Chhattisgarh State Council of Bharat Scout and Guide.
(32)	Project Advisory Board of Integrated Tribal Development Project.
(33)	Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited.
(34)	Chhattisgarh Housing Board.
(35)	Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited.
(36)	Chhattisgarh Nishakt Jan Vitta Avam Vikas Nigam.
(37)	Chhattisgarh State Legal Service Authority.
(38)	Chhattisgarh Khadi Tatha Gramodyog Board.
(39)	Chhattisgarh Rajya Hathkargha Vikas Evam Vipnan Sahkari Sangh Maryadit.
(40)	Chhattisgarh Hastshilp Vikas Board.
(41)	Chhattisgarh Labour Welfare Board.
(42)	Chhattisgarh Shram Salahkar Parishad.
(43)	State Level Coordination Forum constituted under sub-section (4) of Section 166 of the Electricity Act, 2003.
(44)	Chhattisgarh Bio-Fuel Development Authority (CBDA).
(45)	Chhattisgarh Water Standing Committee.
(46)	State Flood Control Board.
(47)	Swashasi Samiti, Shaskiya Chikitsa Mahavidyalaya, Jagdalpur.
(48)	Swashasi Samiti, Shaskiya Dant Chikitsa Mahavidyalaya, Raipur.

(49)	Swashasi Samiti, Pandit Jawahar Lal Nehru Smriti Chikitsa Mahavidyalaya, Raipur.
(50)	Swashasi Samiti Ayurved Mahavidyalaya, Raipur.
(51)	Chhattisgarh Para-medical Council, Raipur.
(52)	Rajya Swasthya Mission.
(53)	Chhattisgarh Rajya AIDS Niyantran Society.
(54)	Kushtha Rog Niyantran Samiti.
(55)	Malaria Evam Filaria Niyantran Samiti.
(56)	Rashtriya Drishtiheenta Nivaran Samiti.
(57)	Kshaya Rog Niyantran Samiti.
(58)	Prajnan Shishu Swasthya Samiti.
(59)	Bahu Ayami Sanskritika Sansthan, Raipur.
(60)	Chhattisgarh Paryatan Salahkar Board.
(61)	Hotel Prabandhan Sansthan, Raipur.
(62)	Chhattisgarh Mahila Kosh.
(63)	State Social Welfare Board Chhattisgarh.
(64)	Chhattisgarh State Commission for Women.
(65)	Chhattisgarh Pathaya Pustak Nigam.
(66)	Chhattisgarh Madersa Board.
(67)	Chhattisgarh Rajya Sanskrit Board.
(68)	Chhattisgarh Rajya Saksharta Mission Pradhikaran.
(69)	Chhattisgarh Rajeev Gandhi Shiksha Mission.
(70)	Rajya Shahri Vikas Abhikaran.
(71)	Chhattisgarh Rajya Beej Evam Krishi Vikas Nigam Limited.
(72)	Chhattisgarh Rajya Beej Pramanikaran Sanstha.
(73)	Chhattisgarh State Beverages Corporation Limited.
(74)	Chhattisgarh Rajya Antyavasayi Sahakari Vitta Evam Vikas Nigam.
(75)	Chhattisgarh Rajya Wakfa Board.
(76)	Chhattisgarh Rajya Anusuchit Jan Jati Ayog.
(77)	Chhattisgarh Rajya Anusuchit Jati Ayog.
(78)	Chhattisgarh Rajya Pichhada Varga Ayog.
(79)	Chhattisgarh Rajya Alp-Sakhayak Ayog.
(80)	Chhattisgarh Rajya Yuva Ayog.
(81)	Chhattisgarh Rajya Gau-Seva Ayog.
(82)	Chhattisgarh Arogya Chikitsa Shikshan Evam Anusandhan Samiti, Raipur
(83)	Chhattisgarh Rajya Sahkari Matsya Mahasangh Maryadit.
(84)	Smt. Suryamukhi Devi Rajgamini Sampada Samiti (Nayas), Rajnandgaon.
(85)	Chhattisgarh Samvad.
(86)	Chhattisgarh Rajya Van Vikash Nigam.
(87)	Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trade and Development) Co-operative Federation Limited.
(88)	Chhattisgarh State Wild Life Board.
(89)	Chhattisgarh Jaiv Vividhta Board.
(90)	Jeevan Deep Samiti of Government Hospital."

Special provision as to validation.

6. (1) Notwithstanding any judgment or order of any court or tribunal or any order or opinion of any other authority, the offices mentioned in the Schedule as amended by this Act, shall not disqualify or shall be deemed never to have disqualified the holders thereof for being chosen as, or for being a member of the Chhattisgarh Legislative Assembly as if the Principal Act, as amended by this Act, had been in force at all material times.

(2) For the removal of doubts, it is hereby clarified that any petition or reference pending before any court or other authority on the date of commencement of this Act, shall be disposed of in accordance with the provisions of the Principal Act, as amended by this Act.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.